SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, no information regarding the damage caused has been received from the State of Maharashtra. But we will take up the matter positively with the Government of Maharashtra.

MR. CHAIRMAN: Question No.86. *(Interruptions)*

SHRI PENUMALLI MADHU: Sir, we come from that area.

MR. CHAIRMAN: I am aware of that. *(Interruptions)* But only three questions can be taken up as supplementary. ...*(Interruptions)*

श्री के.वी. शणप्पा : सर, हम कर्णाटक के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, one Member should be allowed from any political party. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: If you change the rules, I am with you. *(Interruptions)* Please don't do that. *(Interruptions)* If you want questions to be asked on the basis of regions and States, I would submit that you change the rules, I will implement them. *(Interruptions)* Question No.86, please. देखिए, सिर्फ टाइम जाया हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी.के. हरिप्रसाद : हजारों करोड़ रुपया वहां के लिए मिलता है। ... **(व्यवधान)**... आपके मुख्य मंत्री खुद रो रहे थे। ... **(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : वह हमारे मुख्य मंत्री नहीं हैं, वह कर्णाटक के मुख्य मंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : पाणि जी, ... **(व्यवधान)**... पाणि जी, आप बैठ जाइए। ... **(व्यवधान)**... Please. *(Interruptions)* One minute, gentlemen. I am afraid if this kind of interruption goes on, I will be forced to name Members. Please don't take me to this point. Question No.86.

Introduction of HSRPs for vehicles

*86. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether Government is planning to introduce High Security Registration Plates (HSRPs) for vehicles throughout the country;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether any study has been conducted in other advanced countries using similar plates; and

(d) if so, names of such countries, method used for sale of such plates, density of car owners using such plates etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI R.P.N. SINGH): (a) and (b) The Ministry of Road Transport and Highways had amended rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, (CMVR), 1989 on 28th March, 2001 to prescribe fitment of High Security Registration Plates (HSRP) in all categories of new as well as in-use motor vehicles. The role of Central Government was to notify the standards and specifications of High Security Registration Plates, notify the testing agencies that are to test the plates and accord type approval to the vendors and to notify the date of implementation. Implementation of the scheme in accordance with the rules framed by the Central Government is

the responsibility of the States/U.T. The States are also to select the vendors from among those who have been given Type Approval certificate by the testing agencies authorized by the Government. This rule was framed on the basis of the recommendation made by the Technical Standing Committee on Central Motor Vehicles Rules (CMVR-TSC), primarily with a view to checking the increasing instances of theft of motor vehicles and the use of stolen vehicles in criminal activities.

(c) The Government is not aware of any study having been conducted in other advanced countries using similar plates. HSRP contains various security features which would make removal, tampering or counterfeiting of such plates difficult. Some of the features are also available in the registration plates used in many other countries. The combination of security features prescribed in the HSRP was recommended by the CMVR-TSC and accepted by the Government in view of our prevailing environment.

(d) Does not arise.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें यह लिखा है कि यह स्कीम 2001 में बनी थी और अब हम इसको लागू कर रहे हैं। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि स्पैक्ट्रम की जो स्कीम थी, वह भी 2003 में बनी थी। आज वह स्कीम समाचार पत्रों की हैडलाइन में छपी है और देश में चर्चा का विषय बन गई है। अब जो स्कीम लागू की जा रही है, इसमें ऐसे लोगों को यह ठेका दिया जा रहा है, जो विदेशों में काम करते रहे हों..।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : ऐसे लोगों को ठेका दिया जा रहा है, जो विदेशों में काम करते रहे हों, लेकिन अभी तक अमेरिका, यू0के0, जर्मनी आदि देशों में ऐसी प्लेट का प्रचलन नहीं हुआ है और यह प्लेट 300 रुपये से लेकर 1800 रुपये में जनता को दी जाएगी।

श्री सभापति : आप भाषण न दें, सवाल पूछिए।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : जहां तक इन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है कि प्लेट की कितनी मोटाई होनी चाहिए, कैसी प्लेट होनी चाहिए, उसके बारे में इन्हें उसका मूल्य भी निर्धारित करके देना चाहिए। सर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक कंपनी ने असत्य कागजात बनाकर राजस्थान से प्लेटों का ऑर्डर लेने की कोशिश की...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : मैं माननीय महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो कंपनी राजस्थान में असत्य दस्तावेज के आधार पर ऑर्डर लेना चाहती थी, क्या उसकी जांच गृह मंत्री से करवाएंगे और केंद्र द्वारा उनकी कीमत निर्धारित करेंगे ताकि एक जैसी कीमतें देश में चलें?

श्री सभापति : आप यह आखिरी ज़ुमला पहले पढ़ सकते थे ताकि इतना टाइम बच जाता।

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, the Bill for high security registration plates was introduced in 2001. It is primarily the concern of the States which are going to introduce the plates in the States. The Central Government is just going to assist the State Governments. The State Governments are going to take out the tenders. We have issued the basic guidelines from the Ministry under which the State Governments have to implement this policy. We have taken all measures and tried to initiate dialogue with the States to implement the introduction of plates in the States because it is a State subject. The hon. Member has made a mention about the State of Rajashtan. We are not inviting any tenders. The tenders are going to be invited by the State Governments and we are only facilitating the process.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सभापति जी, राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश हैं कि ऐसी कंपनियों को ऑर्डर दिया जाए जो विदेशों में काम करती रही हैं। वे कंपनियां झूठे कागजात लेकर यहां से ऑर्डर ले रही हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ये प्लेट बना सकती हैं। हमने ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ यह बात कैसे निश्चित की है कि उन्हीं लोगों की मोनोपोली बने? क्या आप इस पर विचार करेंगे?

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, I would like to bring to the notice of the House that the Government of India has not given any specifications that only the people who have worked in other countries can do this work. We have very basic points. We have an eight-point programme which is in the notice inviting tender which does not specify that the contractor should have worked in any country because it is not a Central issue. We are not inviting tenders. Some States have come up with the idea that only those contractors can work who have participated in other countries. Sir, it is not an issue relating to the Central Government.

छोटे शहरों में औद्योगिक घरानों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र खोला जाना

*87. **श्री शिवानन्द तिवारी:**[]
श्री रवि शंकर प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश व विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों ने देश के महानगरों के बाद अब छोटे-छोटे शहरों में भी खुदरा विक्रय केन्द्र खोलना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 2009 के अंत तक, किन-किन छोटे शहरों में कौन-कौन से औद्योगिक घरानों द्वारा खुदरा विक्रय केन्द्र आरंभ कर दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन विक्रय केन्द्रों के प्रारंभ होने से देश के खुदरा व्यापार पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव का कोई आकलन किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संगठित खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों/मॉलों का पंजीकरण राज्य/संघ शासित राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकरणों में कराते हैं। घरेलू निवेशकों के खुदरा क्षेत्र में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की खुदरा व्यापार में अनुमति नहीं है सिवाय "एकल ब्रांड" उत्पाद खुदरा व्यापार के, जहां 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकार के पूर्व अनुमोदन एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार है:-

(i) केवल 'एकल' ब्रांड के उत्पाद को बेचा जाना चाहिए;

(ii) उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए; तथा

(iii) 'एकल' ब्रांड उत्पाद-खुदरा व्यापार में केवल वे उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के समय ही ब्रांड नाम दिया जाता है।

(ख) सरकार ने फरवरी, 2006 में नीति की घोषणा के बाद अब तक एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए 52 अनुमोदन स्वीकृत किए हैं। ऐसे अनुमोदनों की सूची विवरण-I में दी गई है। (नीचे **देखिए**)

(ग) सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) के माध्यम से असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव विषय पर एक अध्ययन करवाया था। उक्त अध्ययन की मुख्य विशेषताएं विवरण-II में दी गई हैं।

[]सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।